पत्रांक– एस0एस0– पंजीयन अभियान /2019–20/ ५१-१ / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0

(संख्या अनुभाग)

लखनऊःदिनांकः 18 फरवरी, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
समस्त कर निर्धारण/प्रवर्तन अधिकारी वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0 व्यापारी पंजीयन/ज्वाइन्ट कमिश्नर जीएसटी/2019–20/732/वाणिज्य कर (जीएसटी अनुभाग) दिनांक 22.11.2019, पत्र सं0 830 दिनांक 10.01.2020, पत्र सं0 कमिश्नर कैम्प/ 2019– 20/ 221/वाणिज्य कर (कमिश्नर कैम्प) दिनांक 25.01.2020 व पत्र सं0 एस0एस0–पंजीयन अभियान/ 2019–20/885/वाणिज्य कर (संख्या अनुभाग) दिनांक 06. 02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पंजीयन गणना अभियान के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत करते हुए समस्त कार्यवाही दिनांक 15.02.2020 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। अभियान में पूर्ण कर लिये गये गणना कार्य की मुख्यालय पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं–

1. समीक्षा में पाया गया कि व्यापारी गणना कार्य शत प्रतिशत नहीं हुआ है तथा मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 महोदय द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास हेतु निर्धारित जोनवार नए पंजीयन लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति का प्रतिशत कम है। सत्यापन का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है।
2. नए पंजीयन एवं रिटर्न दाखिला की सुविधा हेतु सभी पंजीयन/रिटर्न हेल्प डेस्क में पूर्णतया भिज्ञ अधिकारी (पंजीयन एवं रिटर्न हेतु) को ही नोडल अधिकारी नामित किया जाए। हेल्प डेस्क का प्रचार प्रसार आप द्वारा पूर्व में किया गया है। अभियान अवधि में उसी प्रकार हेल्प डेस्क का प्रचार प्रसार किया जाता रहे जिससे व्यापारी सुविधा(पंजीयन एवं रिटर्न दाखिला) का लाभ ले सके। हेल्प डेस्क पर आगंतुक सभी व्यापारियों का पूर्ण विवरण रजिस्टर में अंकित कर सुरक्षित रखा जाए।
3. प्रत्येक जिले, कस्बे में स्थित शॅापिंग मॉल की गणना/सर्वे पुनः अलग से की जाए और उसमें स्पष्ट अंकित किया जाए कि शॅापिंग मॉल में कितने व्यापारी पूर्व से पंजीकृत है तथा कितने अपंजीकृत एवं कितने पंजीयन योग्य है। शाखा कार्यालयों के रूप में कार्यरत पंजीकृत व्यापार स्थलों के लिए मुख्य व्यापारी स्थल का पूर्ण विवरण एवं पंजीयन की स्थिति अवश्य अंकित की जाए तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी घोषणा व्यापारी के पंजीयन में उपलब्ध है। शॅापिंग मॉल में व्यापारियों की सर्विसेज(किराया, सिक्योरिटी, सफाई आदि) के बिन्दु पर भी सूचना एकत्र की जाए। यह विवरण एक सप्ताह में विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
4. सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगमों एवं संस्थाओं को की गयी गुडस एवं सर्विसेज की सप्लाई एवं इस मद में किये गये भुगतान की सूचना एकत्र कर पंजीयन एवं रिटर्न से सत्यापन कर लिया जाए।
5. पंजीयन वृद्धि हेतु अधिक से अधिक पंजीयन एवं रिटर्न दाखिला के कैम्प पूर्व जारी निर्देशों के क्रम में लगाए जाए। पंजीयन गणना/सर्वे जो अवशेष रह गया हो उनको प्रत्येक दशा में संतृप्त/पूर्ण कर लिया जाए एवं पूर्ण होते ही सत्यापन की रिपोर्ट विभागीय पोटर्ल पर अपलोड की जाए।

अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। पंजीयन अभियान में किसी भी स्तर पर शिथिलता की स्थिति में उत्तदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृ0 पत्र संख्या एवं दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपि–ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर को इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या 3 के अनसार फीडिंग हेतु विभागीय पोर्टल में प्राविधान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(ए0के0 शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।